

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या- 108(1)/55-पर्या-13-3(115)/प्रनि/85
लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2013

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं०-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम सं०-14 सन् 1981) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना सं०-2206/55-12-3(115) प्रानि/85, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम सं०-14 सन् 1981 के अधीन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों की सुनवाई और उनको निपटाने के लिये प्राधिकारी का गठन करते हैं।


2- उक्त धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि उक्त अपील प्राधिकारी एक व्यक्ति से मिलकर बनेगा और उ०प्र० सरकार के पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग को अपील प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

(बी०एन० गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या- 108(1) /55-पर्या-13-3(115)/प्रानि/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शारान।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन।
7. भाषा (उर्दू) अनुभाग को उर्दू अनुवाद के गजट, प्रकाशन हेतु।

आज्ञा से

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव।
६